प्रा॰ पत्र सं॰ 97/2021 CRCA5-2021/253
सुरेश v/s भूमिधारी

18/08/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में अमल में लायी जा चुकी हैं। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी सही नाम सुरेश पुत्र जगदीश है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से प्रार्थी का गलत नाम सुरेन्द्र पुत्र जगदीश दर्ज कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत चला का प्रमाण पत्र, राजस्व ग्राम चला के भूमि खाता संख्या 133, 448 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 की प्रतियां जिनमें प्रार्थी का सही नाम सुरेश पुत्र जगदीश हैं, सह खातेदार राजेन्द्र पुत्र जगदीश एवं स्वंय का नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किये हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सह खातेदार राजेन्द्र पुत्र जगदीश एवं प्रार्थी के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र पुत्र जगदीश अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का नाम का सही नाम सुरेश पुत्र जगदीश है की पुष्टि ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत चला का प्रमाण पत्र, राजस्व ग्राम चला के भूमि खाता संख्या 133, 448 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 की प्रतियां एवं सह खातेदार राजेन्द्र पुत्र जगदीश एवं प्रार्थी के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	आदेश उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम चला पटवार हल्का चला स्थित भूमि खसरा नम्बर 932 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सुरेन्द्र पुत्र जगदीश के स्थान पर सुरेश पुत्र जगदीश दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथानी	